

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC X)/2018/1577

दिनांक: 19.04.2018

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क्र.स. 1 से 5, 16, 23 से 26 पर वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2019 तक एवं क्र.स. 6 से 15, 17 से 22, 27 से 34 पर वर्णित ठेके की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2020 तक रहेगी) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	174	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना की राजस्व सीमा में खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	ईआरसीसी	डोलोमाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	44130600	01.05.2018	02.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील चित्तौड़ व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	60582900	01.05.2018	02.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड की तहसील बडीसादडी, निम्बाहेडा, भदेसर व डूंगला की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनिज पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	31931900	01.05.2018	02.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
4	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतडी, बुहाना, उदयपुरवाटी व नवलगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनिज पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फ़ैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6947500	01.05.2018	02.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
5	159	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोडकर) की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार के प्रभावशील खनिज पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फ़ैल्सपार	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	31017700	01.05.2018	02.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
6	111	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील सांगोद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनिज पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1167300	01.05.2018	02.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.

7	38	खनि अभियन्ता जयपुर	जिला जयपुर की तहसील बस्सी, सांगानेर एवं चाकसू की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं क्वार्टजाइट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं क्वार्टजाइट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं क्वार्टजाइट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	67857300	01.05.2018	02.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
8	19	सहायक खनि अभियन्ता सावर	जिला अजमेर की तहसील केकडी की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	362100	01.05.2018	02.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
9	51	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील उनियारा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	333500	01.05.2018	02.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
10	50	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील देवली व टोडारायसिंह की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	202200	01.05.2018	02.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
11	157	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, बिच्छीवाडा एवं सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4413200	01.05.2018	02.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

12	89	खनि अभियन्ता बुंदी द्वितीय	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली, बून्दी, नैनवा व तालेडा (कार्यालय ख.अ. बून्दी द्वितीय के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम की राजस्व सीमा) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	10680200	01.05.2018	02.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
13	224	सहायक खनि अभियन्ता, बारा	जिला बारा की तहसील बारा, किशनगंज व शाहबाद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7013000	02.05.2018	03.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
14	228	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बागीदौरा, घाटोल, कुशलगढ, गांगडतलाई एवं सज्जनगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7321300	02.05.2018	03.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
15	230	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली की तहसील सौजत की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6820200	02.05.2018	03.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
16	166	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले	ईआरसीसी	चाईनाक्ले	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	58439800	02.05.2018	03.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

52

17	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाडा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल)	ईआरसीसी	सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	131625000	02.05.2018	03.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
18	231	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र सावा-नूय-सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7734400	02.05.2018	03.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
19	232	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर	जिला सवाईमाधोपुर की तहसील बौली एवं चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5292100	02.05.2018	03.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
20	233	खनि अभियन्ता, जालोर	जिला जालोर की तहसील आहोर व जिला बाडमेर की तहसील सिवाणा व समदडी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	125127800	02.05.2018	03.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
21	235	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट	ईआरसीसी	रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	8745500	02.05.2018	03.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

22	237	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं तुलाई शुल्क संग्रहण ठेका खनिज लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी) क्वारी क्षेत्र टाटरमाला, न्यू टाटरमाला, टाटरमाला ए, सालरमाला, नारेला, न्यू नारेला, बिनोता, बिनोता ए, खोडिप, मण्डला, माताजी, न्यू माताजी, सेंगवा, जालियां, गोपालपुरा, कचरिया खेडी ए, कचरिया खेडी बी, कचरिया खेडी सी, बावरी खेडा, धनोरा, कारुण्डा, करथाना भट्ट कोटडी, छोटी भाण्डी, बडी भाण्डी, चरलिया, मांगरोल, भावलिया तहसील निम्बाहेडा एवं खोडीप तहसील भदेंसर जिला वित्तौडगढ	आरसीसी	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	92226300	02.05.2018	03.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
23	109	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जैसलमेर जिले की राजस्व सीमा में खनिज बजरी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बजरी	ईआरसीसी	बजरी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6109100	02.05.2018	03.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
24	212	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैंसपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैंसपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैंसपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	17301500	02.05.2018	03.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

52

25	213	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर (तहसील सिवाना एवं समदडी को छोडकर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. वसूली तथा खातेदारी भूमि में नियम 52(3) के तहत जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर प्रीमियम अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. वसूली	ईआरसीसी एवं आर.सी.सी.	जिप्सम (सेलेनाईट को छोडकर)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. (खनन पट्टों) से तथा अधिशुल्क, प्रीमियम एवं डी.एम.एफ.टी. (परमिटों से)	36811300	03.05.2018	04.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
26	215	खनि अभियन्ता, ब्यावर	जिला अजमेर की तहसील ब्यावर में खनिज शिष्ट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज शिष्ट	ईआरसीसी	शिष्ट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	2695400	03.05.2018	04.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
27	203	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील लूणी की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	26394300	03.05.2018	04.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
28	209	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील सरनू व आकल की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6230500	03.05.2018	04.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
29	217	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बायतु एवं सिणधरी के ग्राम सणफा, खरण्टिया, गोदारों का सरा व त्रिसुलिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	2173500	03.05.2018	04.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.

30	241	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील कोटडी एवं जहाजपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, खण्डा एवं लफर	ईआरसीसी	मार्बल, खण्डा एवं लफर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6922300	03.05.2018	04.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
31	98	खनि अभियन्ता डुंगरपुर	जिला डुंगरपुर की तहसील डुंगरपुर व सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज पट्टी, कातला के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित होने वाला खनिज पट्टी, कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	आरसीसी	पट्टी, कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	263300	03.05.2018	04.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
32	244	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील सिकराय (राजस्व ग्राम राजपुरा, गिलारी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	32067000	03.05.2018	04.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
33	245	खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजसमंद	जिला राजसमंद की तहसील नाथद्वारा व खमनोर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग), चिप्स एवं मार्बल खण्डा	ईआरसीसी	लाईम स्टोन (बर्निंग), चिप्स एवं मार्बल खण्डा	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	9344700	03.05.2018	04.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
34	246	सहायक खनि अभियन्ता, चूरु	जिला चूरु के क्षेत्र गोपालपुरा, बालेरा, लोडसर एवं चाडवास की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	131586300	03.05.2018	04.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

अ बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141--2742208 है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

ब ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में लगाई गई बोली राशि का 40 प्रतिशत राशि के बराबर राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :-
 - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।



ii विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई संलग्न है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।

1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / TIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

नोट :-


1 समस्त ठेकों में किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।

यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

2 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

3 ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (जो संशोधित दिनांक 14.3.2018 को हुई है) में किया गया है।

4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।


(डी.एस. मारु)
निदेशक (खान)

प्रतिलिपि :-

1- श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।


4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द --सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर


(एन.के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (खान) मु.